भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1268

दिनांक 10.03.2025 को उत्तर देने के लिए

आकांक्षी जिले

1268. **श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी**:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के तीन जिलों - विजयनगरम, विशाखापत्तनम और कडप्पा - को कब आकांक्षी जिले घोषित किया;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य के उपरोक्त आकांक्षी जिलों में लागू किए जाने वाले संकेतकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 2018-19 से 2024-25 तक उपरोक्त तीन आकांक्षी जिलों के लिए 38.2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक केवल 34 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए जाने और नवंबर 2024 तक मात्र 12.79 करोड़ रुपए ही उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त आकांक्षी जिलों में संपूर्ण राशि के उपयोग और सभी संकेतकों को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी, 2018 में शुरू किया गया था। आन्ध्र प्रदेश से विजयनगरम, विशाखापट्टनम, और कडपा को आकांक्षी जिले के रूप में चिह्नित किया गया था। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि 2022 में अल्लूरी सिताारामराजू जिले को विशाखापट्टनम के पूर्व आकांक्षी जिले से अलग करके बनाया गया था और पार्वतीपुरम मान्यम जिले को विजयनगरम के पूर्व आकांक्षी जिले से अलग करके बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप आकांक्षी जिला कार्यक्रम में विशाखापट्टनम और विजयनगरम के स्थान पर अल्लूरी सीतारामराजू और पार्वतीपुरम मान्यम जिले हैं।

(ख) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की निगरानी की जाती है। एडीपी के तहत 49 केपीआई की सूची अनुलग्नक पर संलग्न है।

(ग) से (ङ): आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय अनुदानों का उपयोग करके महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं चलाते हैं। आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों ने एडीपी के तहत वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 49.16 करोड़ रु. वित्तीय अनुदानों के रूप में प्राप्त किए हैं और अब तक 34.25 करोड़ रु. की मंजूरी दे दी गई है। शेष निधि या तो मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है अथवा जिलों द्वारा परियोजना प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है। संस्वीकृत धनराशि में से, 12.99 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। इन वित्तीय अनुदानों के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिले सहित सभी 112 जिलों के सभी संकेतकों पर प्रगति की निगरानी की जाती है और प्रदर्शन से संबंधित डेटा चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड (http://championsofchange.gov.in) के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक-I

49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों की सूची

क्र.सं.	प्रमुख निष्पादन संकेतक
1.1	कुल एएनसी पंजीकरण में से चार या इससे अधिक प्रसव-पूर्व देखभाल (एएनसी) जांच की सुविधा लेने वाली गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
1.2	कुल एएनसी पंजीकरण में से प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकृत एएनसी का प्रतिशत
1.3	अनुमानित गर्भधारणों में से एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
2	आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक आहार लेने वाली गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
3.1	गंभीर रक्ताल्पता से जूझ रही गर्भवती स्त्रियों में से गंभीर रक्ताल्पता के लिए उपचारित गर्भवती स्त्रियों का प्रतिशत
3.2	कुल एएनसी पंजीकरण में से संबंधित एएनसी के लिए 4 या इससे अधिक बार हीमोग्लोबिन (एचबी) की जांच कराने वाली गर्भवतियों का प्रतिशत
4.1	जन्म के समय लिंग अनुपात
4.2	कुल अनुमानित प्रसवों में से सांस्थानिक प्रसवों का प्रतिशत
5	घर में हुए कुल प्रसवों में से एसबीए (कुशल दाई) की मौजूदगी में घर में हुए प्रसवों का प्रतिशत
6.1	जन्म के घंटे भर के भीतर स्तनपान करने वाले नवजातों का प्रतिशत
6.2	जन्म के समय 2500 ग्राम वज़न वाले जीवित नवजातों का प्रतिशत
6.3	जन्म के समय वज़न लिए गए जीवित बच्चों का समानुपात
7	5 वर्ष से कम उम्र के अल्पवज़नी बच्चों का प्रतिशत
8.1	5 वर्ष से कम उम्र के अवरुद्ध विकास वाले बच्चों का प्रतिशत
8.2	ओआरएस से उपचारित अतिसार पीड़ित बच्चों का प्रतिशत
8.3	दस्त से उपचारित अतिसार पीड़ित बच्चों का प्रतिशत
8.4	पिछले 2 सप्ताह में एआरआई पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का प्रतिशत
9.1	अत्यधिक कुपोषण का प्रतिशत (एसएएम)
9.2	मध्यम कुपोषण का प्रतिशत (एमएएम)
10.1	पर्याप्त आहार पा रहे स्तनपान करने वाले बच्चे (6-23 माह)
10.2	पर्याप्त आहार ले रहे स्तनपान न करने वाले बच्चे (6-23 माह)
11	पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी+डीपीटी3+ओपीवी3+खसरा1) करा चुके बच्चों (9-11 माह) का प्रतिशत
12.1	अनुमानित मामलों में से तपेदिक (टीबी) की अधिसूचना दर (सरकारी और निजी संस्थान)
12.2	अधिसूचित टीबी रोगियों (सरकारी और निजी) में टीबी उपचार की सफलता दर
13.1	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना
13.2	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरुप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का समानुपात
13.3	प्रकार्यात्मक एफआरयू (फर्स्ट रेफरल यूनिट्स) दर

13.4	आईपीएचएस मानकों की तुलना में ज़िला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता
13.5	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण दिवसों का आयोजन
13.6	स्व-भवनयुक्त आंगनवाड़ियों का समानुपात
13.7	ऐसे फर्स्ट रेफरल यूनिट्स (एफआरयू) का प्रतिशत जिनमें प्रसूति-कक्ष और ऑब्सटेट्रिक्स ओटी एनक्यूएएस प्रमाणित(अर्थात् एलएक्यूएसएचवाईए दिशानिर्देशों को पूरा करने वाला) हों
14.1	अवस्थांतर दरः (क) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर
14.2	(ख) उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर
15	शौचालय की उपलब्धताः चालू बालिका शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत
16	शिक्षण परिणाम (सरकारी विद्यालयों में औसत) (क) कक्षा-3 में गणित में प्रदर्शन (ख) कक्षा-3 में भाषा में प्रदर्शन (ग) कक्षा-5 में गणित में प्रदर्शन (घ) कक्षा-5 में भाषा में प्रदर्शन (ङ) कक्षा-8 में गणित में प्रदर्शन (च) कक्षा-8 में भाषा में प्रदर्शन
17	महिला साक्षरता दर (15+ आयु समूह)
18	चालू पेयजल सुविधायुक्त विद्यालयों का प्रतिशत
19	माध्यमिक स्तर पर चालू बिजली सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत
20	आरटीई के विनिर्देशानुसार विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का पालन करने वाले प्रारम्भिक विद्यालयों का प्रतिशत
21	शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के 1 माह के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों का प्रतिशत
22	जल-संरक्षण (वाटर पॉजिटिव) निवेश और नियोजन
(क)	सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत निवल बुआई वाले क्षेत्र का प्रतिशत
(ख)	मनरेगा के अंतर्गत पुनरुज्जीवित जलाशयों की संख्या
23	फसल बीमा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत निवल बुआई वाले क्षेत्र का प्रतिशत
24	महत्वपूर्ण आदान (इनपुट) उपयोग और आपूर्ति में वृद्धि
(क)	3(क) कृषि ऋण में प्रतिशत वृद्धि
(ख)	3(ख) प्रमाणित गुणवत्तापरक बीज वितरण
25	ज़िले में इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार से जुड़ी मंडियों की संख्या
26	क) मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (गेहूं) ख) मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (सामान्य धान, धान ग्रेड-ए)
27	ज़िले में कुल बुआई क्षेत्र की तुलना में उच्च मूल्य वाली फसलों की प्रतिशत हिस्सेदारी
28	2 मुख्य फसलों की कृषि उत्पादकता
29	टीकाकृत पशुओं का प्रतिशत
30	कृत्रिम गर्भाधान कवरेज

31	वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या
32	प्रति 1 लाख की आबादी पर कुल वितरित मुद्रा ऋण (रुपए में)
33	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या
34	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या
35	अटल पेंशन योजना (एपीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर लाभार्थियो की संख्या
36	कुल बैंकिंग खातों के प्रतिशत रुप में आधार के साथ जुड़े बैंक खातों का प्रतिशत
37	प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या
38	अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण# स्कीमों के अंतर्गत प्रमाणित युवाओं की संख्या/ जिले में आयु समूह 15-29* के अंतर्गत युवाओं की संख्या
39	प्रमाणित नियोजित युवाओं की संख्या# / अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
40	प्रशिक्षुता पूरी कर रहे लोगों की संख्या/पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
41	पूर्व शिक्षण के अंतर्गत प्रमाणित लोगों/अनौपचारिक रुप से कुशल कार्यबल की संख्या**
42	अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रमाणित प्रशिक्षित कमज़ोर/वंचित युवाओं की संख्या क) महिला- प्रमाणित प्रशिक्षित ख) एससी- प्रमाणित प्रशिक्षित ग) एसटी- प्रमाणित प्रशिक्षित घ) ओबीसी-प्रमाणित प्रशिक्षित ङ) अल्पसंख्यक- प्रमाणित प्रशिक्षित च) दिव्यांगजन- प्रमाणित प्रशिक्षित/कुल प्रमाणित प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
43	बिजली सुविधायुक्त परिवारों का प्रतिशत
44	इंटरनेट सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
45	(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत बारहमासी सड़कों वाली बस्तियो का प्रतिशत (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ज़िले में कुल संस्वीकृत किलोमीटरों के प्रतिशत के रुप में पूरे किए गए बारहमासी सड़क कार्य के किलोमीटरों की संचयी संख्या
46	वैयक्तिक शौचालय युक्त परिवारों का प्रतिशत
47	पेयजल - ग्रामीण क्षेत्र में 40 एलपीसीडी पेयजल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रतिशत
48	ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों की कवरेज/स्थापना
49	बेघरों या कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त एकल कमरे वाले या कच्ची दीवार और छत वाले 2 कमरों में रह रहे परिवारों के लिए निर्मित पक्के मकानों की संख्या

*****